27

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 60–तीन/2009 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 4–12–2008 – पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्र0क0 88/2006–07 निगरानी

1– नवाव सिंह 2– लोहरे सिंह
3– प्रकाश पुत्रगण तेज सिंह यादव
निवासी ग्राम किर्रायच तहसील
कैलारस जिला मुरैना मध्यप्रदेश
4– श्रीमती कस्तूरी पुत्री तेज सिंह यादव
पत्नि बारेलाल निवासी चारू तहसील
जौरा जिला मुरैना मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्याम शुक्ला पुत्र सुरेश कुमार
2– शुभॉशु शुक्ला नावालिक पुत्र महेश शुक्ला
सरपरस्त मॉ श्रीमती सुषमा शुकला
कस्वा कैलारस जिला मुरैना मध्य प्रदेश
3– श्रीमती त्रिवेणी वाई पत्नि सोनेराम निवासी
कर्रायच हाल सुभाष स्कूल के सामने रमेश
दयाल भवन के भवन में कैलारस जिला मुरैना ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित – एकपक्षीय)

आ दे श
(आज दिनांक 1–8–2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग,मुरैना के प्र0क0 88/06–07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 4–12–08 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि महिला त्रिवेणी वाई पत्नि सोनेराम ने आवेदन प्रस्तुत कर मांग रखी कि उसके पिता तेज सिंह के नाम सुनारगली कैलारस में एक मकान 18X18 वर्गुफट. का था जिसकी दिनांक 4-4-98 को उसके हित में बसीयत है इसलिये बसीयत के आधार पर नामान्तरण किया जाय। तहसीलदार कैलारस ने प्रकरण कमांक 21/2000-01 अ-6 पॅजीकद्ध किया तथा जांच एंव सुनवाई कर आदेश दिनांक 24-7-2000 से बसीयतग्रहीता महिला त्रिवेणी वाई का नामांत्रण कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ ने प्रकरण कमांक 22/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-2-2001 से अपील स्वीकार कर प्रकरण पुर्नजांच/सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया।

तहसील न्यायालय में प्रकरण आने पर पुर्नसुनवाई कर आदेश दिनांक 31-7-01 पारित किया गया तथा बसीयत के आधार पर महिला त्रिवेणी वाई का नामांत्रण स्वीकार किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ ने प्रकरण कमांक 90/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-12-2001 से अपील स्वीकार कर प्रकरण पुर्नजांच हेतु प्रत्यावर्तित किया। प्रकरण में तहसीलदार सवलगढ़ ने पुर्नजांच एंव सुनवाई करते हये आदेश दिनांक 3-7-02 पारित किया तथा बसीयतनामे को संदिग्ध मानते हुये मृतक तेज सिंह के सभी वारिसान का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ ने प्रकरण कमांक 44/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-1-2003 से तहसीलदार सवलगढ़ का आदेश दिनांक 3-7-02 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण पुनः जांच एंव सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित कर दिया।

अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ के आदेश दिनांक 25-1-03 के विरूद्ध अपर कलेक्टर मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर मुरैना ने प्रकरण कमांक 17/2003-04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22-12-2006 से निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 25-1-03 निरस्त करते हुये तहसीलदार का आदेश दिनांक 3-7-02

स्थित रखा। अपर कलेक्टर मुरैना के इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 88/06–07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 4–12–08 से अपर कलेक्टर मुरैना का आदेश, दिनांक 22–12–2006 निरस्त कर दिया तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 25–1–03 यथावत् रखा। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो मेंअंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि महिला त्रिवेणी वाई के हित में अन्य वारिसान को छोड़कर मृतक तेज सिंह ने कोई बसीयत नहीं की है बसीयत जब एकबार सदिग्ध सिद्व हो गई एंव तहसीलदार ने पुनः जांच में बसीयत संदिग्ध पाकर समस्त वारिसान का समान रूप से नामांत्रण कर दिया, अनुविभागीय अधिकारी को फिर से जांच के लिये प्रकरण प्रत्यावर्तित नहीं करना था इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी के त्रृटिपूर्ण आदेश को अपर कलेक्टर ने सही निरस्त किया है, परन्तु अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने गलत निष्कर्ष निकालते हुये अपर कलेक्टर मुरैना के आदेश दिनांक 22–12–2006 को निरस्त करने में भूल की है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर मुरैना के आदेश दिनांक 22–12–2006 के आदेश को यथावत् र खा जाय।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना ने आदेश दिनांक 4–12–08 में विवेचित किया है कि तहसीलदार ने जिन साक्षियी की मौखिक साक्ष्यांकित की है उनमें एक साक्षी विवादित मकान में दुकान चला रहा है जो स्वतंत्र साक्षी है अथवा नहीं – तहसीलदार ने इस विचार नहीं किया है। प्रकरण में अन्य पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर भी नहीं दिया गया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार के दोषपूर्ण आदेश को निरस्त करते हुये प्रकरण समस्त हितबद्व पक्षकारों की

सुनवाई करने हेतु लेखी/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिये प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, चंबल संभाग ने अपर कलेक्टर मुरैना के आदेश दिनांक 22–12–2006 को दोषपूर्ण मानकर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 25–1–03 को यथावत् रखा है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 25–1–03 के पालन में तहसील न्यायालय में पुर्नजांच एंव पुर्नसुनवाई के दौरान समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर मिलेगा, जिसके कारण अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्र0क्र0 88/06–07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 4–12–08 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्र0क्र0 88/06–07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 4–12–08 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर